

जनरल डाक
नं. 22/153,
रा पूर्व भुगतान
(की पूर्व अदायगी
के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक पोपाल डिवायजन
म. प्र. - 108-पोपाल-06-00.

202

180

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, सोमवार, दिनांक 9 जून 2008—ज्येष्ठ 19, शक 1930

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 जून 2008

एफ-3-47-2008-दस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए
के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश, तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भरती नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते
हैं:—
संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम 8 के उपनियम (एक) के खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—
"परन्तु वनरक्षकों के पद पर भरती के लिए उपरोक्त उपबंध लागू नहीं होगा।"
- नियम 11 के उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—
"परन्तु वनरक्षक के पद पर भरती के लिए 10 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे।"

No. F-3-47-2008-X-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Forest Service Recruitment Rules, 1999, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

- after clause (c) of sub-rule (1) of rule 8, the following proviso shall be inserted, namely:—
"Provided that the above provision shall not be applicable for the recruitment on the post of Forest Guards".
- after sub-rule (4) of rule 11, the following proviso shall be inserted, namely:—
"Provided that for the recruitment on the post of the Forest Guard, 10 percent posts shall be reserved for women candidates".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा राज्यपाल के
मुख्य सचिव, भोपाल, द्वारा प्रकाशित।